

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)

प.4(56)वित्त-1(1)आय.व्य/2016

जयपुर, दिनांक : 31/05/17

स्वीकृति संख्या:-74/2017-18

कोषाधिकारी,
उदयपुर ।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2017-18 में आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के पी.डी.खाते में राशि
रुपये 243.69 लाख के हस्तांतरण बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक एफ.5(ए)(2)(49) /सीटीएडी/कृषि/एससीए प्रस्ताव/2016-17 स्वीकृति सं. 11/2016-17 दिनांक 23.05.2017 एवं समसंख्यक संशोधित स्वीकृति संख्या 12/ 2017-18 दिनांक 31.05.2017 में अंकित शर्तों के अनुसार राशि रुपये 243.69 लाख (अक्षरे रुपये दो करोड़ तियालीस लाख उनहत्तर हजार) मात्र आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के पी.डी.खाते में निम्न बजट मद में व्यय दर्शाते हुए हस्तांतरित कर दी जावे:-

मांग संख्या -30

(राशि लाखों में)

4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्प संख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।	
02	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण।	
796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना।	
(24)	जनजाति उपयोजना क्षेत्र के विकास हेतु पूंजीगत निर्माण कार्य (वि.के.स.)	
[02]	टीएडी भवनों का निर्माण, विस्तार एवं नवीनीकरण	
17	वृहद निर्माण कार्य (केन्द्रीय सहायता)।	243.69

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के खर्चों के लिए ही किया जावेगा, किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।


भवदीय,


(जसवंत सिंह)

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक/लेखापरीक्षा-प्रथम), राजस्थान, जयपुर।
2. शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग जयपुर।
3. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
4. विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (व्यय-II) विभाग।
5. अतिरिक्त निदेशक (संयुक्त निदेशक), वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
6. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)